पंजीकृत

सेवा मे

मा0 जनसूचना अधिकारी / गृह सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

20 JAN 2014

पत्रांक सं0-583/सू0अ0अधि0-2005/शाहजहाँपुर दिनांक-14 जनवरी, 2014

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदनः-

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी की जानकारी मे आया है कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के उपरान्त कतिपय प्रदेशो मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो के ऊपर हमले की घटनाओ को दृष्टिगत कर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को कार्यवाही हेतु आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी भी आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट है जिस कारण प्रार्थी को उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्न जानकारी की आवश्यकता है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के तहत दी गई **निर्धारित अवधि मे निम्न सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।**

वांछित शुल्क 10/-रू0 हेतु पॉच रूपये मूल्य के दो पोस्टल आर्डर सं0-69C 747394 / 69C 747395 मूल रूप मे संलग्न है।

आपेक्षित सूचना का विवरणः-

1. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु जन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक किस-किस दिनांक को किस-किस नाम के अधिकारीयो द्वारा आदेश पारित किये गये बताते हुए पारित आदेशो की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव क्या सम्पूर्ण भारत वर्ष मे है अथवा किसी प्रदेश मे बताने की कृपा करे।
3. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेशो का प्रभाव यदि किसी प्रदेश मे नही है तो उस प्रदेश का नाम बताने की कृपा करे।
4. आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो पर होने वाले हमलो से एक्टिविस्टो को किस प्रकार की सुरक्षा उपरोक्त आदेश से प्राप्त होगी बताने की कृपा करे।
5. गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.6.2013 को आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो की सुरक्षा हेतु पारित आदेश की छाया प्रति को प्रमाणित कर दो प्रतियो मे उपलब्ध कराने की कृपा करे।
6. क्या उत्तर प्रदेश मे आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित जनपद वार लिस्ट बनाई गयी है। यदि हॉ तो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर आर0टी0आई0 एक्टिविस्टो से सम्बन्धित लिस्ट की छाया प्रति को दो प्रतियो मे प्रमाणित कर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

संलग्नक-

1. उक्त पोस्टल आर्डर मूल रूप मे।

नोटः-यदि प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना या उसके किसी अंश का सम्बन्ध किसी अन्य लोक/प्राधिकरण से हो तो कृपया सू0अ0अधि0-2005 की धारा 6(3) के नियमानुसार कार्यवाही करने की करे।

प्रार्थी

श्याम सुन्दर शर्मा
C/o सूचना का अधिकार,टास्क फोर्स कार्यालय,
मो0 खलील शर्की, निकट-अम्बा टाकीज मोड़,
शाहजहाँपुर

87 SL

By Speed Post
RTI Matter
(To be issued in Hindi)

No.VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road, New Delhi
Dated:4th March, 2014

To

Shri Shyam Sunder Sharma,
C/o Right to Information, Task Force Office,
Md. Khalil Sharki, Near Amba Talkies Mode,
Shahjahanpur.

Subject: Application under the RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your online RTI application dated 14.01.2014 received in this unit on on transfer on 13.02.2014.

2. With reference to point Nos.(1) to (4) of your application, it is stated that the responsibility for providing security to individuals, including RTI Activists, rests primarily with the State Government concerned, in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. The security is provided on the basis of threat assessment carried out by the security agencies. Security to an individual is not provided solely on the basis of his/her being a RTI Activist etc. However, information sought by you may be related to CS Division, MHA and DOP&T. A copy of your RTI application has already been forwarded to DOP&T vide RTI Cell, MHA's OM No.A-43020/01/2014 dated 10.02.2014. A copy of your application is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to CS Division, MHA for providing requisite information directly to you.

3. With regard to point No.(5) of your application, it is stated that this unit has not issued letter dated 24.06.2013 referred to by you. However, a copy of your application is being forwarded to all CPIOs of MHA for providing requisite information directly to you, if any, available with them.

4. As regards point No.(6) of your application, it is stated that the subject matter may be related to Government of U.P. Accordingly, a copy of your application is also being forwarded to Government of U.P. You are requested to approach PIO of State Government of U.P. for the requisite information.

5. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110 001.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120
Fax:011-23438077

Copy to:

1. Shri K. Murlidharan, Director(CS) & CPIO, CS Division, MHA, NDCC-II Building, New Delhi along with a copy of RTI application dated 14.01.2014 of Shri Shyam Sunder Sharma for further necessary action.
2. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow along with a copy of RTI application of Shri Shyam Sunder Sharma.

Copy transferred under Section 6(3) of the RTI Act-2005 to:

All CPIOs of MHA (Proper) as per list enclosed.